भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †535

दिनांक 25 जून, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: मात्स्यिकी पाठ्यक्रम

†535. श्री राजेन्द्र धेड्या गावितः

क्या मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मात्स्यिकी को अधिक पेशेवर और कौशल आधारित बनाने के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करने/एक कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना/कार्यक्रम किस समय तक लागू होने की संभावना है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चंद्र सारंगी)

(क) से (ग) केन्द्रीय मत्स्यपालन संस्थान, नोटिकल एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण(सी.आई.एफ.एन.ई.टी) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अन्तर्गत पहले से ही व्यावसायिक मत्स्यपालन स्नातक पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका नाम मत्स्यपालन नाटिकल साइंस है तथा इसकी अवधि 4 वर्ष की है। इसके अतिरिक्त मछली पकड़ने वाले जलयानों के प्रचालकों जिसमें स्पीकर/मेट/बोसन/चीफ इंजीनियर/इंजन ड्राइवर आदि शामिल हैं, के लिए उनकी जरूरत के मुताबिक कौशल आधारित 2 पाठ्यक्रम यथा (i) वैसल नेवीगेटर पाठ्यक्रम (बी.एन.सी) और (ii) मरीन फिटर कोर्स (एम.एफ.सी.) चलाये जा रहे हैं, जिनकी अवधि 2 वर्ष की है। इसके साथ ही देश में मछुआरों और टेक्नोक्रेट आदि के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने हेतु आनबोर्ड आध ट्यूना और क्षमता निर्माण सहित सेफ्टी नेवीगेशन और मछली पकड़ने पर आधारित अल्प अवधि के कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद(आई.सी.ए.आर) के तहत कार्यरत मात्सियकी अनुसंधान संस्धान जिनमें मात्स्यिकी प्रोद्योगिकी (सी.आई.एफ.टी.) एवं मात्स्यिकी शिक्षा का केन्द्रीय संस्थान शामिल है, भी मछलीपालन स्तर के पाठ्यक्रम और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं।

******